

राजस्थान सरकार
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
 पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प – राजोता

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 58/2019

1. चन्द्रकला पत्नी पौकरमल उम्र 70 साल जाति माली निवासी नानूवाली बावड़ी
2. घड़सीराम
3. ताराचन्द पुत्रान भगवानाराम
4. दीपक कुमार पुत्र धनसीराम नवीरा भगवानाराम
5. कमला देवी पत्नी धनसीराम नवीरा भगवानाराम समस्त जाति गुर्जर निवासी राजोता तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0

..... वादीगण

ब-ना-म

1. मनोहरलाल
2. रमेश कुमार पुत्रान बंशीराम जाति माली निवासी नानूवाली बावड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
3. इन्द्राज पुत्र मूलाराम
4. कुलदीप पुत्र महेन्द्र
5. कलावती पुत्री भगवाना
6. विशाल पुत्र कैलाश
7. अभय सिंह पुत्र कैलाश
8. मोनिका
9. कृष्णा पुत्रीयान कैलाश नवीरा औंकार नाबालिग जरिये माता संरक्षक श्रीमती सन्तोष देवी
10. सन्तोष पत्नी कैलाश
11. कैलाशचन्द्र पुत्र भगवाना
12. कृष्ण पुत्र गिस्थारी
13. किरण पुत्री महेन्द्र
14. खेमचन्द पुत्र मूलाराम समस्त जातियान गुर्जर निवासीगण राजोता तहसील खेतड़ी
15. चन्द्रभान पुत्र मोहनराम जाति गुर्जर निवासी रामनगर तन् बड़ाऊ तहसील खेतड़ी
16. चिड़िया देवी पुत्री भगवानाराम
17. छोटी देवी पत्नी महेन्द्र
18. जगदीश पुत्र औंकार
19. दाताराम पुत्र मूलाराम
20. धर्मपाल पुत्र भगवानाराम
21. नगरपालिका, खेतड़ी
22. नरेश कुमार पुत्र जयसिंह



58V

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

23. नानी बाई पुत्री भगवाना
24. नानी बाई पुत्री भगवाना
25. प्रभूराम पुत्र भगवाना
26. दुर्गा देवी पत्नी परसाराम
27. सत्यवीर
28. ओमप्रकाश
29. शेखर पुत्रान परसाराम
30. प्रहलाद पुत्र डेडाराम – फौत
- 30/1 चमकोरी देवी पत्नी प्रहलाद
- 30/2 ओमप्रकाश पुत्र प्रहलाद
- 30/3 संतोष पुत्री प्रहलाद
- 30/4 विमला पुत्री प्रहलाद
- 30/5 सुनिता पुत्री प्रहलाद
- 30/6 कृष्णा पुत्री प्रहलाद
- 30/7 मुकेश पुत्र प्रहलाद
- 30/8 कमला पुत्री प्रहलाद
31. पिंकी पुत्री महेन्द्र
32. फूलचन्द पुत्र गुगनराम
33. फूली पुत्री मूलाराम
34. बबली पुत्री माडूराम
35. बंशीधर पुत्र मूलाराम
36. बिमला पत्नी ग्यारसी लाल
37. भगवती पत्नी गिरधारी लाल
38. सरीता उर्फ भूजीया पुत्री माडूराम
39. भेमाराम पुत्र भगवानाराम
40. भंवरी देवी पुत्री भगवानाराम
41. मदन पुत्र जयसिंह
42. ममता पुत्री जयसिंह
43. रामकरण पुत्र गुगनराम
44. रामस्वरूप पुत्र मूलाराम
45. विक्रम पुत्र ग्यारसीलाल
46. बिजेन्द्र पुत्र महेन्द्र
47. शिवकौरी पत्नी भगवानराम
48. संगीता पुत्री महेन्द्र
49. सन्तोष पुत्री औंकार
50. सरती पुत्री मूलाराम
51. सुरेन्द्र पुत्र गिरधारी
52. सरोज पुत्री जयसिंह
53. सुशीला पुत्री औंकार
54. हनुमान पुत्र रामसहय उर्फ परता
55. सहीराम पुत्र हनुमान

जव

56. भागीरथ
57. किशन लाल पुत्रन मातादीन
58. जगदीश
59. प्रकाश
60. हरिसिंह
61. भैरूसिंह पुत्रान जीताराम
62. भगवानी देवी पत्नी जीताराम
63. ग्यारसी देवी पत्नी माडूराम
64. घीसाराम
65. सुमेर सिंह पुत्रान माडूराम
66. कमलेश पुत्री मडूराम समस्त जातियान गुर्जर निवासीगण राजोता तहसील खेतड़ी
67. शंकर लाल पुत्र रोतान जाति माली निवासी डाबला हाल आबाद राजोता तहसील खेतड़ी
68. सुरजभान पुत्र आँकार
69. जगदीश पुत्र डेडाराम जाति गुर्जर निवासी राजोत तहसील खेतड़ी
70. झुन्झुनूं सहकारी भूमि विकास बैंक लि० झुन्झुनूं।
71. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाख खेतड़ी हाल बड़ैदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खेतड़ी नगर।
72. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

.....प्रतिवादीगण

दावा- खाता विभाजन

—:निर्णय:—

दिनांक 02-10-2021

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21-12-2020 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि ग्राम राजोता तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 158, 205, 209 कुल किता 3 कुल रकबा 0.91 है. भूमि में वादी सं. 1 का 1/18 भाग, वादी सं. 2 का 1/12 भाग, वादी सं. 3 का 1/12 भाग व वादी सं. 4 व 5 का 1/12 भाग का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है।

ग्राम राजोता तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 168, 179, 198, 199, 200, 201, 208, 210, 211, 212, 298, 300, 301 कुल किता 14 कुल रकबा 2.70 है. भूमि में वादी सं. 1 का 1/18 भाग, वादी सं. 2 का 1/12 भाग, वादी सं. 3 का 1/12 भाग व वादी सं. 4 व 5 का 1/12 भाग का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है।

ग्राम राजोता स्थित भूमि हाल खसर नंबर 169, 170, 174, 176, 177, 183, 184, 185, 190, 194, 195, 196 कुल किता 12 कुल रकबा 5.05 है. भूमि में वादी सं. 1 का 1/18 भाग, वादी सं. 2 का 1/12 भाग, वादी सं. 3 का 1/12 भाग व वादी सं. 4 व 5 का 1/12 भाग एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 का 1/12 भाग का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है।


उपस्थित अधिकारी, खेतड़ी

ग्राम राजोता स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 166, 167, 171, 172 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 1.01 है। भूमि में वादी सं. 2 का 1/12 भाग, वादी सं. 3 का 1/12 भाग व वादी सं. 4 व 5 का 1/12 भाग एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 का 1/12 भाग का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है।

ग्राम राजोता स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 203 रकबा 0.50 है। भूमि में वादी सं. 1 का 1/18 भाग, वादी सं. 2 का 7/96 भाग, वादी सं. 3 का 1/12 भाग व वादी सं. 4 व 5 का 1/12 भाग का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है।

इसी ग्राम राजोता स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 178 रकबा 0.32 है। भूमि में वादी सं. 2 का 7/12 भाग, वादी सं. 3 का 1/12 भाग व वादी सं. 4 व 5 का 1/12 भाग का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है।


इसी ग्राम राजोता स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 173 रकबा 0.01 है। भूमि में वादी सं. 2 का 1/12 भाग, वादी सं. 3 का 1/12 भाग व वादी सं. 4 व 5 का 1/12 भाग का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांक: भू.अ./2021/1478 दिनांक 18.05.2020 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प राजोता में पेश हुई। बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18-05-2021 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18-05-2021 (प्रदर्श-‘अ-1 से अ-36’ व ‘ब’) का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादीगण मय प्रतिदावा प्रतिवादी सं. 1 व 2 मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18-08-2021 (प्रदर्श-‘अ-1 से अ-36’ व ‘ब’) के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण मय प्रतिदावा प्रतिवादी सं. 1 व 2 मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18-05-2021 (प्रदर्श-‘अ-1 से अ-36’ व ‘ब’) के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18-05-2021 (प्रदर्श-‘अ-1 से अ-36’ व ‘ब’) इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श-‘ब’ के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज लोक अदालत कैम्प राजोता में दिनांक 02-10-2021 को मजमे आम में सुनाया गया।


(जय सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी